न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 08/2016 **(76 एल.आर.एक्ट)**

उनवान

1. अशोक पुत्र श्री पीतराम जाति खटीक निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कठूमर अलवर राज0 ।

..... रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :– 12.12.2017

यह अपील विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दि0 12.05.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दि0 29.07.2015 जिसके तहत अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम कठूमर तहसील कठूमर की भूमि आराजी ख0 नं0 1080 रकबा 0.01 है0 में से 200 वर्गफुट किस्म गै0मु0 रास्ता से बेदखल करने व शास्ती कायम करने व सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर दि0 12.05.2016 को अपीलांट की अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दि0 12.05.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस की शुरूआत करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने की घटना बही की नकल व पूर्व निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं की है तथा पटवारी हल्का ने पुनः अतिचार करने की रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की है जिससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण किसी भी तरह से साबित नहीं होता है । अपीलांट को इस नोटिस से पहले किसी तरह का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है । पटवारी हल्का ने गलत तथ्यों पर रिपोर्ट पेश की है । ख0 नं0 1080 गै0मु0 रास्ता मौके पर मौजूद है जिस पर सड़क निर्मित है तथा आवागमन बदस्तूर जारी है तथा रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है । पटवारी हल्का ने रिर्पोट प्रस्तुत करने से पूर्व कोई पैमायश किसी प्रकार की नहीं की तथा बिना पैमायश के रिपोर्ट पेश की है । उक्त आराजी से अपीलांट का कोई संबंध व सरोकार नहीं है और ना ही अपीलांट ने कोई अतिक्रमण किया है । कब्जा नहीं होने बाबत भी शपथ पत्र पेश किया गया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने जवाब में कथन किया कि विवादित आराजी गै0मु0 रास्ता की है जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है । अपीलांट द्धारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिस बाबत उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था । उसी के आधार पर धारा 91 एल.आर.एक्ट में कार्यवाही की है जो सही है और तहसीलदार ने सही निर्णय सुनाया है तथा अपीलीय न्यायालय ने भी सही निर्णय सुनाया है । अपीलांट ने बाद तक भी कोई अतिक्रमण नहीं हटाया है । अतः अपील खारिज की जावें ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कठूमर के निर्णय दिनांक 29.07.2015 व प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय दि0 12.05.2016 का अवलोकन किया गया ।

तहसीलदार कठूमर की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाते हैं कि धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिस में विवादित आराजी के संबंध में रास्ते पर अतिक्रमण की रिपोर्ट है परन्तु इसमें कोई पूर्व के किसी अतिक्रमण या धारा 91 की रिपोर्ट का हवाला नहीं है । बयान पटवारी साइक्लोस्टाईल है जिसमें भी पूर्व के किसी अतिक्रमण या धारा 91 की कार्यवाही का विवरण का रेकार्ड से हवाला नहीं है । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में कोई रेकार्ड व दस्तावेज पेश नहीं है । साथ ही अपीलांट ने विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होने तथा कब्जा हटाने संबंधी शपथपत्र भी पेश किया है । इस संबंध में अपीलांट की ओर से कानूनी नजीरों आर.आर.डी. 1996 पेज 585 व 481 तथा आर.आर.डी. 2001 पेज 401 की नजीरों का भी अवलोकन किया गया । पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं होने से व प्रथम बार कब्जा करने पर अपीलांट के विरूद्ध सिविल कारावास की सजा स्थगित किया जाना उचित है तथा जो पैनल्टी जारी की गई है उसे राजकोष में जमा कराया जाना उचित है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान अति0 जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर का निर्णय दि0 12.05.2016 व तहसीलदार कठूमर का आदेश दिनांक 29.07.2015 सजा की सीमा तक निरस्त किये जाते है तथा शेष निर्णय यथावत रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12/12/17

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर